

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट

यात्रा अवकाश रियायत के लिए आवेदन

भाग - 1

विभागीय पंजीकरण

संख्या और दिनांक

“क”

मैं मेरे स्थायी घर जाने के लिए स्वयं या मेरे परिवार के संबंध में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के यात्रा अवकाश रियायत नियम के अंतर्गत स्वीकार्य विस्तार के लिए यात्रा अवकाश रियायत हस्ताक्षरित करता हूं और घोषणा करता हूं कि नीचे दिया गया विवरण सत्य है।

1. इसके अतिरिक्त मैं घोषणा करता हूं कि वर्ष 19.....से 19..... और 19.....से 19 के ब्लॉक के संबंध में मैंने या मेरे परिवार के सदस्यों के संबंध में यात्रा अवकाश रियायत के लिए कोई अन्य दावा जमा नहीं किया गया है।

2. मैं पहलेबच्चों सहित मेरे/मेरी पत्नी द्वारा की गई यात्रा के संबंध में यात्रा अवकाश रियायत के लिए यात्रा भत्ता ले चुका हूं। यह दावा बच्चों साथ मेरे/मेरी पत्नी द्वारा की गई यात्रा के संबंध में है। पूर्व अवसर पर पार्टी के साथ किसी ओर ने यात्रा नहीं की।

3. मैंने पहले वर्ष 19.....से 19..... और 19..... से 19..... के ब्लॉक के संबंध मेंबच्चों सहित मैंने या मेरे परिवार द्वारा की गई यात्रा के संबंध में अवकाश रियायत के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं लिया है। यह दावा बच्चों साथ मेरे/मेरी पत्नी द्वारा की गई यात्रा के संबंध में है। ब्लॉक से संबंधित छूट किसी ओर ने प्राप्त नहीं की है।

4. मैं पहले ही वर्ष 19.....से 19..... और 19..... से 19..... के खंड के संबंध में वर्ष 19..... से 19..... में मेरे द्वारा की गई यात्रा के संबंध में यात्रा भत्ता ले चुका हूं। यह दावा 19 से 19.....में मेरे द्वारा की गई यात्रा के संबंध में है। यह गृह नगर जाने के लिए निर्धारित ब्लॉक में प्रत्येक वर्ष एक बार स्वीकार्य रियायत के विरुद्ध है क्योंकि मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरे कार्य के स्थान से बहुत दूर रह रहे हैं।

5. घोषित गृह नगर अर्थात् के लिएबच्चे सहित मेरे/मेरी पत्नी द्वारा यात्रा की जा चुकी है।

6. चूंकि मेरे पति/पत्नी ट्रस्ट की सेवा में कार्यरत नहीं है और वर्ष के संबंधित ब्लॉक के लिए परिवार के किसी भी सदस्य के लिए या उसके के लिए अलग से उसके द्वारा कोई छूट नहीं ली गई है।

7. (क) पद

(ख) नियुक्ति की तिथि

(ग) वास्तविक मूल वेतन

(घ) भविष्य निधि खाता सं.

(ड.) सेवा रजिस्टर फोलियो नं.

(च) स्थायी गृह-नगर

(छ) निकटतम रेलवे स्टेशन

(ज) निकटतम पुलिस स्टेशन

दिनांक

“ब”

वित्तीय सलाहाकार और मुख्य लेखा अधिकारी को प्रेषित और प्रमाणित चूंकि मैं (1)

श्री/श्रीमती/कुमारी (कर्मचारी का नाम)

कार्य से बाहर यात्रा शुरू करने की तिथि पर एक या अधिक वर्ष के लिए निरंतर सेवा प्रदान की है।

(2) विनियम 23 के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार आवश्यक एंट्रीज श्री/श्रीमती/कुमारी के सेवा पत्रक में की गई हैं।

दिनांक

.....

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)